भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2020/टेली/15(10)/3 (एमआर इवेंट्स) (3321440) नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

<u>दूरसंचार परिपत्र सं. 01/2022</u>

विषय: (i) वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित वीआईपी कार्यक्रमों के लिए दरों का निर्धारण।
(ii) क्षेत्रीय रेलों द्वारा दिनांक 01.04.2020 से आरसीआईएल को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित वीवीआईपी कार्यक्रमों के भुगतान के लिए कार्यविधि।

संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 07.01.2021 का समसंख्यक पत्र (टेलीकॉम परिपत्र सं. 01/2021) (प्रतिलिपि संलग्न)।
(ii) बोर्ड का दिनांक 12.08.2015 का पत्र सं. 2015/टेली/एएसटीई/वीडियो कॉन्फ.आर.टेल (प्रतिलिपि संलग्न)।

****

ऊपर संदर्भित दिनांक 07.01.2021 के टेलीकॉम परिपत्र सं. 01/2021 के क्रम में, निम्नलिखित के लिए रेल मंत्रालय की स्वीकृति एतद्द्वारा संसूचित की जाती है:

(i) दिनांक 07.01.2021 के टेलीकॉम परिपत्र सं. 01/2021 के तहत संसूचित वीआईपी कार्यक्रमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हेतु संशोधित दरें पहले से अनुमोदित तारीख 01.10.2019 के स्थान पर दिनांक 01.10.2020 से लागू होंगी।

(ii) क्षेत्रीय रेलें, आरसीआईएल को दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक वीआईपी कार्यक्रमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हेतु पुरानी दरों अर्थात् प्रत्येक केंद्रीय स्थान (जहां माननीय प्रधानमंत्री/रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री मौजूद थे और केन्द्रीय स्थान के रूप में केवल एक कोडेक/कैमरा प्रभारित किया जाना था) के लिए 4,00,020/- रुपए और प्रत्येक दूरस्थ स्थान के लिए 2,47,470/- रुपए का भुगतान करेंगी। ऐसे मामले जहां केंद्रीय और दूरस्थ स्थान पर एक से अधिक कोडेक/कैमरे लगाए गए थे, वहां प्रत्येक अतिरिक्त कोडेक/कैमरा को दिनांक 30.09.2020 तक अलग दूरस्थ स्थान के रूप में प्रभारित किया जाए। पुरानी दरों की प्रति संलग्न है, जिस पर आरसीआईएल को भुगतान किया गया था।

(iii) टेलीकॉम परिपत्र सं. 01/2021 से आगे, उसी दूरस्थ स्थान पर लगाए गए अतिरिक्त कोडेक/कैमरों के लिए दरें दिनांक 01.10.2020 से अनुमोदित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

स्थान	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के कार्यक्रम	उप-राष्ट्रपति/रेल मंत्री/केंद्रीय मंत्री/मुख्य मंत्री/राज्यपालों के कार्यक्रम	अन्य पदाधिकारियों जैसे रेल राज्य मंत्री/संसद सदस्यों के कार्यक्रम
उसी दूरस्थ स्थान/स्टेशन पर प्रत्येक अतिरिक्त कोडेक/कैमरों के लिए दरें	1,48,482.00+ जीएसटी	1,18,786.00+ जीएसटी	74,241.00+ जीएसटी

बिन्दु (i) पर संदर्भित रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं. 01/2021 के तहत यथा संसूचित अन्य निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

इसे वित्त निदेशालय की सहमति और बोर्ड (सदस्य/इन्फ्रा) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक/दूरसंचार
रेलवे बोर्ड

सं. 2020/टेली/15(10)/3 (एमआर इवेंट्स) (3321440) नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त (व्यय)-।। और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल), प्लॉट-ए, छठी मंजिल, ऑफिस टॉवर-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023.